आवश्यक

संख्या: 66/2020/2273/12-2-2020-एफ.42/2001टी0सी0

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 09 दिसम्बर, 2020

विषय: प्रदेश की विभिन्न औद्योगिक इकाईयों द्वारा नाइट्रोजिनस कम्पाउन्डस अथवा टेक्निकल ग्रेड यूरिया (टी0जी0यू0) के स्थान पर अनुदानित यूरिया के उपयोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि सचिव, भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग, नई दिल्ली ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या: Sec/Miscl/FM/2020 दिनांक 23 नवम्बर, 2020 (प्रति संलग्न) द्वारा विभिन्न औद्योगिक इकाईयों द्वारा चिन्हित उत्पाद के निर्माण में उपयोग हेतु अनुदानित यूरिया का नाइट्रोजिनस कम्पाउण्डस अथवा टैक्निकल ग्रेड यूरिया या फार्मेल्डीहाड यूरिया के स्थान पर डायवर्जन कर रॉ-मैटेरियल के रूप में प्रयोग के किए जाने के करण इन इकाईयों में रॉ-मैटेरियल की प्राप्ति स्रोत की गहन जांच कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। नाइट्रोजिनस कम्पाउण्डस अथवा टेक्निकल ग्रेड यूरिया या फार्मेल्डीहाइड यूरिया का उपयोग करने वाली प्रमुख औद्योगिक इकाईयों का विवरण निम्नवत है:-

(i) एनिमल एण्ड पोल्ट्री फीड एज प्रोटीन सब्स्टीच्यूट।
(ii) यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन यूज्ड इन पेन एज ए बाइन्डर फॉर द इमल्सन।
(iii) रॉ मैटीरियल फॉर फरमेन्टेशन ऑफ शुगर/मोलेसस टू एल्कोहल।
(iv) यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिड्यू एण्ड इट्स मॉडिफिकेशन्स यूज्ड इन प्लाईवुड एण्ड पार्टिकल बोर्ड इण्डस्ट्री एैज अधेसिव एण्ड आलसो फॉर सरफेस कोटिंग।
(v) मेलामाइन रेजिन ऑर मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड (नाइट्रोजन कम्पाउण्ड्स) यूज्ड फॉर मैन्यूफैक्चर ऑफ कुकिंग यूटेन्सिल्स, प्लेट्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स एण्ड मोर।
(vi) टीजीयू इस यूज्ड एज नॉन-कोडिंग अल्टरनेटिव टू रॉक-साल्ट।
(vii) टीजीयू (टेक्निकल ग्रेड यूरिया) यूज्ड ए बर्निंग एजेन्ट।
(viii) टीजीयू यूज्ड एज मेन मैटीरियल फार टूथ ह्वाइटनिंग प्रोडक्ट्स।
(ix) एज एडिटिव टू डाई बाथ्स फॉर टैक्सटाइल डाइनिंग ऑर प्रिन्टिंग।
(x) रॉ-मैटीरियल फॉर डिश सोप।
(xi) रॉ मैटीरियल फॉर फ्लेवर-एन्हैन्सिंग एडिटिव फॉर सिगरेट्स।

2. उल्लेखनीय है कि टैक्निकल ग्रेड यूरिया घरेलू उत्पादनकर्ता मै0 जी0एन0एफ0सी0 और विदेशों से आयात के माध्यम से उपलब्ध होता है। आद्योगिक इकाईयों में अपने उत्पादों के निर्माण हेतु उपयोग में होने वाले टैक्निकल ग्रेड यूरिया की मात्रा घरेलू उत्पादन और आयात से प्राप्त होने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

वाली टैक्निकल ग्रेड यूरिया की मात्रा से अधिक है। भारत सरकार के उक्त पत्र के संदर्भ में निम्नवत कार्यवाही किए जाने का निर्देश दिया जाता है:-

(i) प्रदेश के प्रत्येक जनपद में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के द्वारा उपरोक्त चिन्हांकित औद्योगिक इकाईयों और इनके अतिरिक्त अन्य औद्योगिक इकाईयों जिनके द्वारा अपने उत्पादों के निर्माण में टैक्निकल ग्रेड यूरिया या फार्मेल्डीहाइड यूरिया का प्रयोग किया जाता है, की सूची तैयार करायी जाये।

(ii) महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र एवं जिला कृषि अधिकारी की संयुक्त टीम के द्वारा जनपद में उपरोक्त चिन्हित स्थापित औद्योगिक इकाईयों द्वारा टी0जी0यू0 (टैक्निकल ग्रेड यूरिया) या फार्मेल्डीहाइड यूरिया के प्राप्ति स्रोत की गहनता से जांच करायी जाये। यदि किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा जांच में अनुदानित यूरिया का उपयोग अपने उत्पादों के निर्माण में किया जाना पाया जाता है तो उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं आवयक वस्तुअधिनियम, 1955 की धाराओं एवं अन्य सुसंगत नियमों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करायें जिससे अनुदानित यूरिया का औद्योगिक इकाईयों पर दुरूपयोग करने पर रोक लगायी जा सके।

(iii) शासन स्तर से जनपदों में समय-समय पर पड़ने वाले उर्वरक छापों के दौरान उर्वरक बिक्री केन्द्रों के साथ-साथ उपरोक्तानुसार चिन्हित औद्योगिक इकाईयों का जनपद में गठित टीम द्वारा सघन निरीक्षण किया जाये।

उपरोक्त के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर टीम गठित कराते हुए जांच रिपोर्ट 15 दिसम्बर, 2020 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 66/2020/2273(1)/12-2-2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, उर्वरक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अनिल ढींगरा)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।